

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-ब/22803/SAT/2022/95

दिनांक : 10.08.2022

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषय :- ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2022 हेतु पात्र शिक्षकों से ऑन-लाईन आवेदन लिये जाने बाबत।

प्रसंग:- शासन का पत्रांक : प.18(2) शिक्षा-2/2022 जयपुर, दिनांक : 05.08.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग में अध्ययन-अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत सुधार एवं प्रोत्साहन तथा पात्र शिक्षकों के चयन में सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों को पुरस्कार चयन में समान अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत विगत वर्ष से शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन में प्रक्रियात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन किया गया है। कोविड-19 की परिस्थिति के चलते सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में कक्षा 1 से 8 की परीक्षा नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 में अध्ययन करवाने वाले सामान्य शिक्षको, विशिष्ट योग्यजन शिक्षक एवं विशेष योग्यजन संबंधी संस्था में कार्यरत शिक्षक तथा 2020-21 खेलकूद प्रतियोगिता नहीं होने के कारण शारीरिक शिक्षकों हेतु पूर्व में जारी सूक्ष्म अंक योजना में संलग्न अंक योजना अनुसार परिवर्तन किया जाता है। उक्तानुरूप इस वर्ष "ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2022" के आयोजन हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभिन्न स्तरों पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन की योजना :-

क्र. सं.	विवरण	कक्षा वर्ग	शिक्षक सम्मान समारोह का स्तर		
			ब्लॉक स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
1	सम्मान हेतु निर्धारित शिक्षकों की संख्या	कक्षा 1 से 5	358(प्रत्येक ब्लॉक से एक-एक)	33 (प्रत्येक जिले से एक-एक)	33 (प्रत्येक जिले से एक-एक)
		कक्षा 6 से 8	358(प्रत्येक ब्लॉक से एक-एक)	33 (प्रत्येक जिले से एक-एक)	33 (प्रत्येक जिले से एक-एक)
		कक्षा 9 से 12	358(प्रत्येक ब्लॉक से एक-एक)	33 (प्रत्येक जिले से एक-एक)	33 (प्रत्येक जिले से एक-एक)
2	आवेदन हेतु न्यूनतम शिक्षण अनुभव/सेवावधि	-	न्यूनतम तीन वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवावधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित।	न्यूनतम तीन वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवावधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित।	न्यूनतम तीन वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव/सेवावधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित।
3	पुरस्कार का स्वरूप	-	5100/-रु प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र	11000/-रु प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र	21000/-रु प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र
4	आयोजन तिथि	-	5 सितंबर 2022 (शिक्षक दिवस के अवसर पर)	5 सितंबर 2022 (शिक्षक दिवस के अवसर पर)	5 सितंबर 2022 (शिक्षक दिवस के अवसर पर)

2. पुरस्कृत किये जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या :-

- ब्लॉक स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =358x 3=1074
- जिला स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =33x 3=99
- राज्य स्तर पर कुल पुरस्कृत शिक्षकों की संख्या =33x 3=99

कुल योग =1074+99+99=1272

3. समय सारिणी :-

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति/ कार्यालय	विवरण	निर्धारित तिथि/समयावधि
1	आवेदन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक के लिए	शाला दर्पण के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन।	दिनांक : 10.08.2022 से 17.08.2022 मध्यरात्रि तक।
2	संस्था प्रधान/ नियंत्रण अधिकारी के लिए	विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक के आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई हार्ड कॉपी एवं वांछित दस्तावेजों की पंजिका तैयार कर संबंधित CBEO कार्यालय में जमा करवाना (तीन प्रतियों में)।	दिनांक : 18.08.2022 को (वाहक स्तर पर)।
3	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय	प्राप्त आवेदनों की जांच तथा साक्ष्यों का विश्लेषण एवं भौतिक सत्यापन।	दिनांक : 19.08.2022 से 21.08.2022 तक।
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से तीन उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन कर प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन प्रस्तावों का CDEO कार्यालय को ऑनलाइन अग्रेषण।	दिनांक : 21.08.2022 को मध्यरात्रि तक।
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से अग्रेषित दोनों प्रस्तावों की हार्ड कॉपी मय वांछित संलग्नक CDEO कार्यालय में (दो प्रतियों में) प्रेषित करना।	दिनांक : 22.08.2022 को (वाहक स्तर पर)।
4	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) कार्यालय	CBEO कार्यालय से कक्षा वर्गवार प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा उपरांत प्रत्येक कक्षा वर्ग से उच्चतम वरीयता वाले तीन प्रस्तावों को ऑनलाइन अग्रेषण निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को करना।	दिनांक : 24.08.2022 को मध्यरात्रि तक।
		प्रत्येक कक्षा वर्ग से अग्रेषित तीन-तीन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मय वांछित संलग्नक निदेशालय को (एक प्रति में) प्रेषित करना।	दिनांक : 25.08.2022 को (वाहक स्तर पर)।

4. कक्षा वर्ग का निर्धारण :-

- शिक्षक के कक्षा वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। (विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण एवं समय-विभाग चक्र की प्रति आवेदन के संलग्न प्रेषित की जायेगी)
- संस्था प्रधान स्वयं के द्वारा आवेदन किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा विद्यालय में अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं (विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण एवं समय-विभाग चक्र की प्रति आवेदन के संलग्न प्रेषित की जायेगी) के आधार पर कक्षा वर्ग निर्धारित करते हुए सूक्ष्म अंक योजना में परीक्षा परिणाम की गणना विद्यालय की कक्षा-5 एवं 8 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ग्रेड तथा कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम का कुल औसत निकाला जाकर की जायेगी।

2/3

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 6 से 8 के वर्ग तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 9 से 12 के वर्ग में आवेदन किया जायेगा।

5. आवेदन प्रक्रिया :-

- इस वर्ष भी शिक्षकों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। उक्त पुरस्कार हेतु राज्य के प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षक/संस्था प्रधान आवेदन हेतु निर्धारित अर्हता की पूर्ति के अध्यक्षीन आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- उक्त आवेदन की ऑन-लाईन पूर्ति उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निकाली जाएगी, जिसे संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र से संबंधित समस्त संलग्नकों/साक्ष्यों सहित तीन प्रतियों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रमाणीकरण उपरांत वाहक स्तर पर जमा करवाया जायेगा।
- उक्त आवेदन हेतु नव निर्मित मॉड्यूल दिनांक : 10.08.2022 को शाला दर्पण पोर्टल पर लाईव होगा तथा दिनांक : 17.08.2022 की मध्यरात्रि तक पात्र शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ कॉर्नर पर शिक्षक सम्मान लिंक पर स्वयं के लॉगिन द्वारा पंजीकरण उपरांत आवेदन कर सकेंगे। ऐसे विद्यालय, जिनकी मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं है, में कार्यरत शिक्षक शाला दर्पण पर शिक्षक सम्मान से संबंधित लिंक पर पंजीकरण उपरान्त दिनांक : 17.08.2022 को रात्रि 12:00 बजे तक ऑन-लाईन आवेदन कर सकेंगे।
- संबंधित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ./नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्तानुरूप शाला दर्पण पर अपलोड किये गये उक्त आवेदन की हार्ड कॉपी मय समस्त वांछित संलग्नक पंजिका (तीन प्रतियों में) दिनांक : 18.08.2022 तक प्रमाणित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से जमा करवायी जायेगी।

6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अग्रेषण :-

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन उपरांत दिनांक : 21.08.2022 तक प्राप्त आवेदनों में से उपर्युक्त वर्णित तीनों वर्गों से उच्चतम वरीयता वाले तीन आवेदनों का चयन किया जायेगा।
- आवेदनों की वरीयता का निर्धारण संलग्न प्रेषित 100 अंको की सूक्ष्म अंक योजना में प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा तथा उक्तानुरूप अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन शाला दर्पण पर CBEO लॉगिन से की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कक्षा वर्ग में उच्चतम वरीयता के तीन शिक्षकों का चयन अग्रांकित ब्लॉक स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	चयन समिति में दायित्व
1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त समिति ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्राप्त समस्त ऑन-लाईन आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं विभागीय जाँच नहीं होने के आशय (आवेदन की प्रमाणीकृत हार्ड कॉपी के साथ संस्था प्रधान द्वारा प्रेषित) के आधार पर मूल्यांकन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना (ग्राउण्ड एसेसमेंट सहित) के आधार पर करने हेतु उत्तरदायी होगी।



- उक्त समिति से संबंधित सदस्य के पद रिक्त होने की अवस्था में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्राधिकार में पदस्थापित प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी का मनोनयन करने हेतु अधिकृत होंगे।
- उपर्युक्त समिति प्रत्येक कक्षा वर्ग में से उच्चतम वरीयता के तीन-तीन शिक्षकों का चयन कर उनमें से प्रत्येक वर्ग में प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करेगी।
- प्रत्येक कक्षा वर्ग से तीन उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन कर प्रथम दो वरीयता वाले आवेदन प्रस्तावों का CDEO कार्यालय को ऑनलाइन अग्रेषण दिनांक : 21.08.2022 को रात्रि 12 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से करना है।
- सम्बन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनों की हार्ड कॉपी मय समस्त वांछित संलग्नक पंजिका (दो प्रतियों में) दिनांक : 22.08.2022 तक प्रमाणित कर संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से जमा करवायी जायेगी।

7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का अग्रेषण :-

- अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों द्वारा तीनों कक्षा वर्गों से अग्रेषित दो-दो शिक्षकों के आवेदन का दिनांक : 24.08.2022 को ही आवश्यक रूप से समेकन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- तत्पश्चात उक्त आवेदनों की समुचित संवीक्षा उपरांत जिले में प्रत्येक वर्ग से उच्चतम वरीयता के तीन-तीन आवेदन का निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को दिनांक : 24.08.2022 को शाला दर्पण पर CDEO लॉगिन से ऑन-लाईन अग्रेषण किया जाना है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा ऑन-लाईन अग्रेषित समस्त नौ प्रस्तावों से सम्बन्धित हार्ड कॉपी (एक प्रति पत्रावली के रूप में) दिनांक : 25.08.2022 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यमिक अनुभाग में वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जाएगी।
- अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों द्वारा अग्रेषित आवेदनों की समुचित संवीक्षा एवं राज्य स्तरीय समिति को प्रत्येक कक्षा वर्ग से अग्रेषित किये जाने वाले तीन-तीन आवेदनों के चयन हेतु अग्रांकित विवरणानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	चयन समिति में दायित्व
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारंभिक	सदस्य
4	संबंधित जिले में राष्ट्र स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक	सदस्य
5	सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त सदस्यों में से पद रिक्त होने अथवा पात्र सदस्य के अभाव में उसके स्थान पर समिति अध्यक्ष जिला क्षेत्राधिकार में किसी प्रधानाचार्य समकक्ष शिक्षाधिकारी का मनोनयन कर सकेंगे।

8. राज्य स्तरीय चयन समिति :-

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा तीनों कक्षा वर्ग से तीन-तीन शिक्षकों के चयन के अनुरूप समस्त 33 जिलों से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु अग्रेषित कुल 297 आवेदनों की पात्रता जांच एवं संवीक्षा उपरांत अग्रांकित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हेतु 99 शिक्षकों का अंतिम चयन किया जायेगा :-



क्र.सं.	अधिकारी का पद नाम	चयन समिति में दायित्व
1	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	अध्यक्ष
2	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर	सदस्य
3	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर	सदस्य
4	उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा	सदस्य सचिव

- उपर्युक्त समिति द्वारा चयनित 99 शिक्षकों को शासकीय अनुमोदनोपरांत दिनांक : 05 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोज्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

9. ब्लॉक/जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह :-

- नवीन शिक्षक सम्मान योजना के अनुसार आवेदित शिक्षकों में से ब्लॉक स्तर पर श्रेणीवार तीन-तीन शिक्षकों (कक्षा 1 से 5 को पढाने वाले-3, कक्षा 6 से 8 को पढाने वाले-3 तथा कक्षा 9 से 12 को पढाने वाले-3) का चयन किया जाना है। इस तरह से कुल 3222 (3x3x358) शिक्षक ब्लॉक स्तर पर चिन्हित/सूचीबद्ध किये जाएंगे।
- ब्लॉक स्तर पर चिन्हित शिक्षकों में से प्रत्येक वर्ग से उच्च वरीयता वाले दो-दो शिक्षकों के नाम जिला स्तर पर अग्रेषित किए जाएंगे। इस प्रकार जिला स्तर पर कुल 2148 (2x3x358) नाम चिन्हित किए जाएंगे। इन 2148 में से प्रत्येक जिले से प्रत्येक श्रेणी के तीन नाम अर्थात् कुल 297 (3x3x33) नाम राज्य स्तर पर अग्रेषित किए जाने हैं।
- राज्य स्तर पर प्राप्त 297 प्रस्तावों में से प्रत्येक श्रेणी का एक प्रस्ताव अर्थात् कुल 99 प्रस्ताव (3x33) राज्य स्तरीय सम्मान हेतु चयनित किये जाने हैं, शेष 198 (297-99) अचयनित पुनः अपने-अपने जिले में भेजे जाएंगे, जिनका अंकन जिले एवं ब्लॉक पर पूर्व में ही हो चुका है।
- जिला स्तर पर राज्य स्तर से लौटाए गये (198) तथा पूर्व में अग्रेषित नहीं किये गये 1851 (2148-297) यानी कुल 2049 चिन्हित आवेदनों में से उच्च वरीयता वाले तीन आवेदन, प्रत्येक श्रेणी से एक-एक अर्थात् कुल 99 (3x33) जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु चयनित किये जाएंगे एवं शेष 1950 (2049-99) आवेदन ब्लॉक स्तर पर लौटाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी में अब ब्लॉक स्तर पर शेष रहे आवेदन में से उच्चतर वरीयता वाले (राज्य एवं जिला स्तर पर चयनित के अतिरिक्त शेष में से) एक-एक यानि कुल 1074 (3x358) शिक्षकों को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है।
- उक्तानुरूप ब्लॉक एवं जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर दिनांक : 05 सितम्बर 2022 को आयोजित किये जाने हैं। उक्त समारोह के आयोजन पेटे प्रति ब्लॉक दस हजार रु तथा प्रति जिला एक लाख रु की राशि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा प्रदान की जायेगी।

10. पात्रता :-

- नियमित कार्यरत शिक्षक/संस्था प्रधान, जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का विद्यालयी शिक्षण अनुभव (आधार तिथि- 30 जून, 2022) है, उक्त पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे।
- संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी आवेदन के अग्रेषण से पूर्व यह भली प्रकार जांच लेवें कि आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही वर्तमान में लंबित नहीं है तथा सेवाभिलेख के अनुसार पूर्व में भी किसी भी प्रकार की दंडात्मक/निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई है तथा आरोप पत्र भी नहीं दिया गया है। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की होगी।



उपर्युक्त निर्देशों के क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हेतु समुचित कार्यवाही सम्पादित करते हुए निर्धारित समयवधि में पात्र शिक्षकों के शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुनिश्चितता करावें। सहज संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की कक्षावर्ग अनुसार वरीयता निर्धारण हेतु 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना (सामान्य शिक्षक/शारीरिक शिक्षक/विशेष शिक्षक हेतु पृथक-पृथक) संलग्न प्रेषित है। उल्लेखनीय है कि यह समयबद्ध कार्यक्रम है, इसमें प्रत्येक स्तर से अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जानी है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाये।
संलग्न :- यथोपरि।



(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण तथा प्रभावी प्रबोधन एवं अधिकाधिक पात्र शिक्षकों के आवेदन के लिए प्रचार-प्रसार की सुनिश्चितता हेतु।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
13. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक।
17. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान-राउमावि/रामावि।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

शिक्षक सम्मान 2022 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना

सामान्य शिक्षक :-

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी0एड0/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड/शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के)	60 अंक
	(कक्षा 9 से 12 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु)	
(2)(i)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम)	
	100 प्रतिशत	अंक 12 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 10 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 08 प्रति वर्ष

नोट :- (1) 80 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(2) 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक: 12X5=60

(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

कोविड - 19 की परिस्थिति को देखते हुए सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में कक्षा 1 से 8 की परीक्षा का आयोजन न होने के कारण सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2021-22 तक तीन सत्रों के अंक भार 36 तथा 2019-20 व 2020-21 के लिए 24 अंक निर्धारण निम्नानुसार का निर्धारण किया जाना है :-

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म अंक योजना तीन सत्र (2017-18, 2018-19 एवं 2021-22)		सत्र 2019-20 व 2020-21 हेतु प्रस्तावित अस्थाई संशोधन		विवि
(2)(ii)	परीक्षा परिणाम (गत तीन वर्षों का) - कक्षा-5 अथवा कक्षा-8 का परीक्षा परिणाम। (कक्षा 1 से 5 अथवा 6 से 8 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु)	36 अंक	आओ घर में सीखे, स्माईल तथा कोविड-19 में कार्य करने के आधार पर (कक्षा 1 से 5 अथवा 6 से 8 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु)	सत्र 2019-20 व 2020-21 में कक्षा 1 से 8 की परीक्षा न होने के कारण।
A	91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 12 प्रति वर्ष	आओ घर में सीखे तथा स्माईल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की प्रोफाईल में अति उत्तम गृहकार्य मय जांच होने पर	अंक 12 प्रति वर्ष
B	81 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 10 प्रति वर्ष	आओ घर में सीखे तथा स्माईल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की प्रोफाईल में उत्तम गृहकार्य मय जांच होने पर	अंक 10 प्रति वर्ष
C	71 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 80 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष	आओ घर में सीखे तथा स्माईल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की प्रोफाईल में अच्छा गृहकार्य मय जांच होने पर	अंक 08 प्रति वर्ष
नोट :-	<p>(1) 70 प्रतिशत या इससे कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।</p> <p>(2) 3 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 12X3=36 तथा सत्र 2019-20 व 2020-21 हेतु उपर्युक्त तालिकानुसार 24 अंक। (कुल 60 अंक)</p> <p>(3) शिक्षकों हेतु अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं का तथा संस्था प्रधान हेतु विद्यालय का परीक्षा परिणाम लागू होगा।</p> <p>(4) सत्र 2019-20 व 2020-21 हेतु आओ घर में सीखे तथा स्माईल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की प्रोफाईल में कार्य करने के अतिरिक्त यदि कोविड-19 पेनडेमिक में जिला प्रशासन/ब्लॉक प्रशासन/पीईईओ द्वारा सौंपे गए कार्यों को किया है तो प्रत्येक अतिरिक्त दो अंक दिए जाएंगे। (उदाहरण :- यदि किसी शिक्षक को आओ घर में सीखे तथा स्माईल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की प्रोफाईल में अति उत्तम गृहकार्य मय जांच होने पर अधिकतम 10 अंक मिले हैं और उसने कोविड-19 पेनडेमिक में भी कार्य किया है तो उसे 2 अंक अतिरिक्त देय होंगे।)</p>			

(5) उक्त अंक पीईईओ/संस्था प्रधान द्वारा उसके उक्त समस्त कार्यों के आधार तथा पर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर दिए जाएंगे।

(6) ये अंक तीन सत्र (2017-18, 2018-19 एवं 2021-22) में मिले अधिकतम अंक से अधिक नहीं हो। उदाहरण :- यदि किसी शिक्षक को तीन सत्र (2017-18, 2018-19 एवं 2021-22) सत्रों में किसी एक सत्र में अधिकतम अंक 10 मिले हैं तो इस सत्र हेतु शिक्षक को आओ घर में सीखे तथा स्माइल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की प्रोफाइल में अति उतम गृहकार्य मय जांच होने पर अधिकतम अंक कोविड-19 पेनडेमिक में कार्य करने के उपरांत भी सत्र 2019-20 व 2020-21 प्रति सत्र 10 अंक ही देय होंगे।

(3)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत पाँच वर्षों के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट $1 \times 5 = 05$ है।

(4)	जन सहयोग (गत पाँच वर्षों का)	10 अंक
	15 लाख रुपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रुपये से ऊपर एवं 15 लाख रुपये तक	अंक 07
	05 लाख रुपये से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक	अंक 05
	03 लाख रुपये से ऊपर एवं 05 लाख रुपये तक	अंक 03

नोट :- (1) 'जनसहयोग यथा-कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य किसी अन्य अध्यापक द्वारा किसी राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नहीं किया गया हो।'

(2) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से करवाएँ गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते है।

(3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन-जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।

(4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु करवाए गये जनसहयोग यथा-कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्य में लगी राशि सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाणित एवं मामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंषा आवश्यक होगी तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य प्रकार की सामग्री यथा-फर्नीचर, दरीफर्श, पुस्तके इत्यादि का इन्चाज शाला स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो तथा दानदाला द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक है और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो, मान्य नहीं किया जावे।

(5)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पाँच वर्षों की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पाँच वर्षों का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है, तो उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये, बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7)	ग्राउन्ड एसेसमेन्ट	10 अंक
-----	--------------------	--------

शिक्षक का नाम

पद

विद्यालय

क्र०सं०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठ्यक्रम सहायगी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	01	

8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01
योग :-		10

शिक्षक सम्मान 2022 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना

शारीरिक शिक्षक :-

(1)	खेलकूद भागीदारी का रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 5.0
	राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 3.0
	राज्य स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 2.0

नोट :- अधिकतम क्रेडिट अंक 5 अंक

(2)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत पाँच वर्षों के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है।

(3)	जन सहयोग (गत पाँच वर्षों का)	10 अंक
	15 लाख रुपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रुपये से ऊपर एवं 15 लाख रुपये तक	अंक 07
	05 लाख रुपये से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक	अंक 05
	03 लाख रुपये से ऊपर एवं 05 लाख रुपये तक	अंक 03

नोट :- (1) "जनसहयोग यथा-कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्लाऊ, शौचालय आदि

निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य किसी अन्य अध्यापक द्वारा किसी राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नहीं किया गया हो।"

(2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से करायें गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन-जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्ही विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।

(4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु करवाए गये जनसहयोग यथा-कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान,

खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्य में लगी राशि सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाण-पत्र एवं भामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंषा आवश्यक होगी तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य प्रकार की सामग्री यथा-फर्नीचर, दर्सीफर्श, पुस्तकें इत्यादि का इन्द्राज शाला स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो तथा दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक है और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो, मान्य नहीं किया जावे।

(4)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पाँच वर्षों की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(5)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पाँच वर्षों का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	जिला स्तर	अंक 0.50
	खण्ड स्तर	अंक 0.25

नोट :- 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

कोविड - 19 की परिस्थिति को देखते हुए सत्र 2020-21 में स्कूली खेलों का आयोजन नहीं होने के कारण गत चार सत्रों में 60 अंकों को विभाजित किया गया है।

शारीरिक शिक्षकों हेतु अनुमोदित अंक योजना में कोविड-19 की परिस्थिति चलते गत पांच वर्षों के स्थान पर सत्र 2020-21 को छोड़ते हुए अंकों को चार सत्रों में निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जाना है :-

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म अंक योजना	सत्र 2017-18, 2018-19 व 2019-20 हेतु प्रस्तावित अस्थाई संशोधन	सत्र 2021-22 हेतु प्रस्तावित अस्थाई संशोधन
शारीरिक शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों की खेलकूद	60 अंक	शारीरिक शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों की खेलकूद
	45 अंक	15 अंक

गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि गत पांच वर्ष	गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि	उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि गत तीन वर्ष	गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि	गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि
राष्ट्रीय स्तरीय	अंक 12 प्रति वर्ष	राष्ट्रीय स्तरीय	राष्ट्रीय स्तरीय	राष्ट्रीय स्तरीय
राज्य स्तरीय	अंक 10 प्रति वर्ष	राज्य स्तरीय	राज्य स्तरीय	अंक 15 प्रतिवर्ष
जिला स्तरीय	अंक 08 प्रति वर्ष	जिला स्तरीय	जिला स्तरीय	अंक 12.5 प्रति वर्ष

नोट :- (1) 4 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $15 \times 4 = 60$ है
(2) यदि एक विद्यार्थी द्वारा एक ही वर्ष में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किये जाते हैं, तो उच्चतम स्तर पर प्राप्त उपलब्धि/प्रमाण पत्र आदि के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।
(3) 2021-22 में राज्य स्तर को अधिकतम अंक 15 व जिला स्तर के 12.5 अंक देय।

(7) ग्राउन्ड एसेसमेन्ट	10 अंक
------------------------	--------

शिक्षक का नाम पद

विद्यालय

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
योग :-		10	

शिक्षक सम्मान 2022 हेतु चयन की सूक्ष्म अंक योजना

विशेष योग्यजन शिक्षक एवं विशेष योग्यजन संबंधित संस्थान में कार्यरत विशिष्ट शिक्षक :-

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तंक होने पर	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तंक होने पर	अंक 0.5

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बीएड/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड/शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के)	40 अंक
	(कक्षा 9 से 12 को शिक्षण करवाने वाले शिक्षक)	
(2)(i)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम)	
	100 प्रतिशत	अंक 08 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 05 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 03 प्रति वर्ष
	70 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	अंक 01 प्रति वर्ष

नोट :- (1) 70 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(2) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट अंक 08X5=40

(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

विशेष योग्यजन शिक्षकों हेतु अनुमोदित अंक योजना में कोविड-19 की परिस्थिति चलते गत पांच वर्षों के स्थान पर सत्र 2019-20 एवं 2020-21 को छोड़ते हुए अंकों को तीन सत्रों में निर्मांकित तालिका के अनुसार किया जाना है :-

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म अंक योजना तीन सत्र (2017-18, 2018-19 एवं 2021-22)	
परीक्षा परिणाम (गत पाँच वर्षों का)- कक्षा-5 अथवा कक्षा-8 का परीक्षा परिणाम (कक्षा 1 से 5 अथवा 6 से 8 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु)	24 अंक
100 प्रतिशत छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष
90 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 6 प्रति वर्ष
80 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 4 प्रति वर्ष
70 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	अंक 02 प्रति वर्ष

(iii) उक्त बिन्दु में राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन शिक्षक एवं विशेष योग्यजन शिक्षक के अनुसूचित प्रयास विशेष शिक्षक एवं विशेष योग्यजन संबंधित संस्थान में कार्यरत सामान्य शिक्षक राज्य सरकार द्वारा हेतु अनुमोदित सूक्ष्म अंक योजना के अनुसार कुल 40 अंक में से दो सत्रों (2019-20 व 2020-21) के शेष रहे 16 अंकों को बिन्दु संख्या 7 में सम्मिलित करने हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाना है :-

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म अंक योजना		परीक्षा परिणाम में शेष रहे 16 अंकों हेतु अस्थायी संशोधन	
(7)	विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सामान्य मानदण्ड - निम्नलिखित प्रयास विशेष शिक्षा में योगदान की श्रेणी में आता है :-	20 अंक	36
1	विशेष योग्यजन बच्चों के नामांकन में वृद्धि	अंक 1 प्रति वर्ष	अंक 1.8 प्रति वर्ष
2	विशेष योग्यजन छात्रों को उपकरण उपलब्ध करवाने में सहयोग	अंक 1 प्रति वर्ष	अंक 1.8 प्रति वर्ष
3	विशेष शिक्षा के लिए आयोजित संगोष्ठी/सेमीनार/अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था/अन्य सह-शैक्षिक गतिविधि आयोजन में विशिष्ट योगदान आदि में भाग लेना	अंक 1 प्रति वर्ष	अंक 1.8 प्रति वर्ष
4	विशेष योग्यजन छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह समाज में स्थान दिलाने हेतु प्रचार/प्रसार	अंक 1 प्रति वर्ष	अंक 1.8 प्रति वर्ष
(1) 61 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।			
(2) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट अंक 08X5=40			
(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।			
(3)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत पाँच वर्षों के)		5 अंक
	उत्कृष्ट		अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा		अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा		अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है।

(4)	जन सहयोग (गत पाँच वर्षों का)		10 अंक
	15 लाख रुपये से ऊपर		अंक 10
	10 लाख रुपये से ऊपर एवं 15 लाख रुपये तक		अंक 07
	05 लाख रुपये से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक		अंक 05
	03 लाख रुपये से ऊपर एवं 05 लाख रुपये तक		अंक 03

नोट :-

- (1) "जनसहयोग यथा-कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्यों में लगी राशि या अन्य प्राप्त जन सहयोग का उपयोग पूर्व में किसी अन्य अध्यापक द्वारा किसी राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नहीं किया गया हो।"
- (2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- (3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन-जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्ही विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे। जन सहयोग गत 5 वर्षों में किया गया ही मान्य होगा।
- (4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु करवाए गये जनसहयोग यथा-कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि निर्माण कार्य में लगी राशि सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाण-पत्र एवं भाभाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंसा आवश्यक होगी तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य प्रकार की सामग्री यथा-फनीचर, दर्शीफर्श, पुस्तक इत्यादि का इन्द्राज शाला स्टॉक रजिस्टर में हुआ हो तथा दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंसा आवश्यक है और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो, मान्य नहीं किया जावे।

(5)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पाँच वर्षों की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पाँच वर्षों का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7)	विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सामान्य मानदण्ड -- निम्नलिखित प्रयास विशेष शिक्षा में योगदान की श्रेणी में आता है :- विशेष योग्यजन बच्चों के नामांकन में वृद्धि विशेष योग्यजन छात्रों को उपकरण उपलब्ध करवाने में सहयोग विशेष शिक्षा के लिए आयोजित संगोष्ठी/सेमिनार/अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था/अन्य सह-शैक्षिक गतिविधि आयोजन में विशिष्ट योगदान आदि में भाग लेना विशेष योग्यजन छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह समाज में स्थान दिलाने हेतु प्रचार/प्रसार	20 अंक अंक 1.00 प्रति वर्ष अंक 1.00 प्रति वर्ष अंक 1.00 प्रति वर्ष अंक 1.00 प्रति वर्ष
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

नोट :-

- (1) 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक 20 है।
- (2) अध्यक्ष स्वयं विशेष योग्यजन है एवं विशेष योग्यजन छात्रों को ही पढाते हैं तो उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जावे।
- (3) उपरोक्त प्रयासों के समर्थन में किसी भी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र को नियन्त्रण अधिकारी/ज़िंशिअ से प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
- (4) किसी भी एक प्रयास के लिए प्रत्येक वर्ष में 1.0 अंक देय होगा।
- (5) बर्षवार सूचना परिशिष्ट -12 में प्रस्तुत करनी होगी।

(8)	आधारभूत आंकलन (ग्राउन्ड एसेसमेन्ट)	10 अंक
-----	------------------------------------	--------

शिक्षक का नाम पद

विद्यालय

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय क्लिकार्य कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
योग :-		10	